न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गडरारोड़ जिला बाड़मेर,

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार –।

राजस्व वाद सं. 45/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चतरा पुत्र कूंपा 2. हरिया पुत्र कूंपा 3. सता पुत्र कूंपा फौत के कायम मुकाम :– 3/1. मदनसिंह पुत्र सता 3/2. पर्बतसिंह पुत्र सता 3/3. वीरसिंह पुत्र सता, जाति–दरोगा, नि0 जैसिंधर गांव, तह0 गडरारोड़		1. राजा पुत्र जेठा 2. अर्जन पुत्र जेठा 3. अगरा पुत्र जेठा 4. कल्याण पुत्र जेठा 5. मु0 केशर पत्नी गेना 6. गौतम पुत्र लांगा 7. जुगता पुत्र लांगा 8. शंकरा पुत्र लांगा 9. चेला पुत्र लांगा 10. तुलछा पुत्र लांगा फौत के कायम मुकाम :– 10/1. गोपीदेवी पत्नी तुलछा 10/2. कल्याणसिंह पुत्र तुलछा 11. सुखा पुत्र लांगा के फौत के कायम मुकाम :– 11/1. सुगणी पत्नी सुखा 11/2. कमलसिंह पुत्र सुखा 11/3. तिलोकसिंह पुत्र सुखा 12. परबता पुत्र लाला 13. भूरा पुत्र बस्ता 14. सरूपा पुत्र सगता जाति–दरोगा, नि0 जैसिंधर गांव, तह0 गडरारोड़ 15. श्रीमान तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता वादीगण

2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 14

राजस्व/वाद 88, 92, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 30/12/25

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण की पुश्तैनी एवं कब्जा–काश्त का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.3095 हैक्टेयर मौजा–राणसिंह की ढाणी, पटवार मण्डल–शहदाद का पार, तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर मे आया हुआ है। जिसमें एक मात्र रहवासी ढाणियां एवं कब्जा – काश्त वादीगण का पिढीयों से चला आ रहा है। वादीगण मुतवफी कूंपा के वंशज एवं उत्तराधिकारी की बहैसियत से एवं सद्‌भावी काश्तकार के रूप में काबिज होकर सावणू फसल एवं प्राकृतिक पैदावार शांतिपूर्वक लेते आ रहे है। वादीगण हिन्दू परिवार के सदस्य होने से हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादीगण पूर्व पुरूष कूंपा पुत्र झंडा के पुत्र, पौत्र है। उक्त वादग्रस्त आराजी में एक मात्र वादीगण के पूर्वज दादा, पिता मुतवफी कूंपा पुत्र झंड के [illegible] तहसील शिव जिला बाड़मेर में बहैसियत पसायेतादार खातेदार कृषक के नाम कब्जा –काश्त होने से जारी हुआ था। उक्त खेत पर मुतवफी कूंपा के जीवनकाल मे कूंपा द्वारा ही काश्त कर चार बाडें एवं रहवासी ढाणी, टांके आदि बनाकर व सेढे माठ कायम कर सावणू फसल एवं प्राकृतिक पैदावार लेते आ रहा था तथा राजस्व लगान राजस्थान सरकार को अदा करता आ रहा था। मुतवफी कूंपा के फौत होने पर कूंपा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर गडरारोड़

जाईन्दा चारों पुत्र सता, चतरा केसा बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। कूंपा का जाईन्दा पुत्र केसा पुत्र कूंपा अर्सा तैतीस वर्ष पूर्व लाऔलाद कुंवारा फौत हो गया था तथा कूंपा का दूसरा पुत्र सता पुत्र कूंपा अर्सा सात वर्ष पूर्व फौत हो जाने पर सता के जाईन्दा पुत्र क्रमशः मदनसिंह, पर्बतसिंह, वीरसिंह, काबित हुए। तत्पश्चात् जैसिंधर से राजस्व गांव राणसिंह की ढाणी बनने एवं शिव तहसील से नवसृजित तह0 गडरारोड़ बनने पर खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.3095 हैक्टेयर राजस्व गांव राणसिंह की ढाणी में अवस्थित हुआ जिस पर एक मात्र कब्जा–काश्त वादीगण का है। हल्का पटवारी जैसिंधर एवं सरपंच ग्राम पंचायत जैसिंधर से साजिश कर वादीगण की जमीन हडपने की नियत से नामान्तरकरण संख्या 32 मौजा–जैसिन्धर खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 32.16 बीघा भूमि का बिना किसी प्रकार वैध पंजीयन सुदा बैचान पत्र, बिना दान पत्र, बिना किसी वसीयत एवं बिना हकतर्कनामा एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के अवैध रूप से कूंपा पुत्र झंडा की खातेदारी के साथ 1/3 हिस्सा सगता, जेठा पिता हंसा व 1/3 हिस्सा बस्ता, लांगा, लाला पिता लछा का नाम दर्ज कर हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी तारीख एवं बिना तारीख एवं बिना किसी कब्जा एवं बिना किसी हक हिस्सा के अवैध रूप से नामान्तरकरण दर्ज कर भू अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ की टिप्पणी बिना तारीख बिना माह व बिना सन् के अंकित किये तथा सरपंच ग्राम पंचायत जैसिंधर ने भी बिना किसी ग्राम पंचायत की बैठक की तारीख का अंकन किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 32 मौजा–जैसिन्धर अवैध रूप से पारित कर दिया। जिस पर हल्का पटवारी जैसिंधर ने भी माफिक नामान्तरकरण अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर दिया जो नमान्तरकरण संख्या 32 मौजा–जैसिन्धर कानूनी प्रकिया के विपरीत बिना किसी विधिक अधिकार एवं हक–हकूक के प्राप्त किया होने से काबिल अपास्त है। नामान्तकरण संख्या 32 मौजा जैसिंधर के खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 32.16 बीघा में सगता, जेठा पिता हंसा 1/3 व बस्ता, लांगा, लाला पिता लछा 1/3 हिस्सा का उपरोक्त अवैध नामान्तकरण को अपास्त कर कूंपा पुत्र झंडा के उत्तराधिकारी वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार घोषित करने की घोषणा का पेश किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से वकील श्री मदनसिंह भाटी द्वारा दिनांक 30.07.2024 को वकालात नामा पेश करने से आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया दिनांक 15.10.2024 को प्रतिवादी का जवाब बन्द कर दिया गया था। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पी0डब्लू–1 हरिया पुत्र कुंपा, पी0डब्लू–2 कैलाश पुत्र तेजाराम के ब्यान गवाह शपथ पत्र पेश किये। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन मे ई.एक्स पी – 1 जमाबन्दी ग्राम राणसिंह की ढाणी पटवार मण्डल–शहदाद का पार, ई.एक्स पी – 2 नक्शा ग्राम राणसिंह की ढाणी, ई.एक्स पी – 3 से ई.एक्स पी – 4 खंतौनी बन्दोबस्त ग्राम जैसिन्धर तह0 शि[illegible] किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा और कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहते है [illegible] जाती है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी साक्ष्य से जिरह नही किये जाने से [illegible] की जाती है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी साक्ष्य पेश नही करने पर प्रतिवादी साक्ष्य बन्द क[illegible]ाती हैं।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी।

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की पुश्तैनी एवं कब्जा–काश्त का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.3095 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:23 IST
Reason: Self Attested
सहायक कलक्टर
गडरारोड

मौजा–राणसिंह की ढाणी, पटवार मण्डल–शहदाद का पार, तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर मे आया हुआ है। जिसमें एक मात्र रहवासी ढाणियां एवं कब्जा – काश्त वादीगण का पिढीयों से चला आ रहा है। वादीगण मुतवफी कूंपा के वंशज एवं उत्तराधिकारी की बहैसियत से एवं सद्भावी काश्तकार के रूप में काबिज होकर सावणू फसल एवं प्राकृतिक पैदावार शांतिपूर्वक लेते आ रहे है। वादीगण हिन्दू परिवार के सदस्य होने से हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादीगण पूर्व पुरूष कूंपा पुत्र झंडा के पुत्र, पौत्र है। उक्त वादग्रस्त आराजी में एक मात्र वादीगण के पूर्वज दादा, पिता मुतवफी कूंपा पुत्र झंड के नाम तहसील शिव जिला बाडमेर में बहैसियत पसायेतादार खातेदार कृषक के नाम कब्जा –काश्त होने से जारी हुआ था। उक्त खेत पर मुतवफी कूंपा के जीवनकाल मे कूंपा द्वारा ही काश्त कर चार बाडें एवं रहवासी ढाणी, टांके आदि बनाकर व सेढे माठ कायम कर सावणू फसल एवं प्राकृतिक पैदावार लेते आ रहा था तथा राज़स्व लगान राजस्थान सरकार को अदा करता आ रहा था। मुतवफी कूंपा के फौत होने पर कूंपा के जाईन्दा चारों पुत्र सता, चतरा केसा बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। कूंपा का जाईन्दा पुत्र केसा पुत्र कूंपा अर्सा तैतीस वर्ष पूर्व लाऔलाद कुंवारा फौत हो गया था तथा कूंपा का दूसरा पुत्र सता पुत्र कूंपा अर्सा सात वर्ष पूर्व फौत हो जाने पर सता के जाईन्दा पुत्र क्रमशः मदनसिंह, पर्बतसिंह, वीरसिंह, काबित हुए। तत्पश्चात् जैसिंधर से राजस्व गांव राणसिंह की ढाणी बनने एवं शिव तहसील से नवसृजित तह0 गडरारोड़ बनने पर खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.3095 हैक्टेयर राजस्व गांव राणसिंह की ढाणी में अवस्थित हुआ जिस पर एक मात्र कब्जा–काश्त वादीगण का है। हल्का पटवारी जैसिंधर एवं सरपंच ग्राम पंचायत जैसिंधर से साजिश कर वादीगण की जमीन हडपने की नियत से नामान्तरकरण संख्या 32 मौजा–जैसिन्धर खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 32.16 बीघा भूमि का बिना किसी प्रकार वैध पंजीयन सुदा बैचान पत्र, बिना दान पत्र, बिना किसी वसीयत एवं बिना हकतर्कनामा एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के अवैध रूप से कूंपा पुत्र झंडा की खातेदारी के साथ 1/3 हिस्सा सगता, जेठा पिता हंसा व 1/3 हिस्सा बस्ता, लांगा, लाला पिता लछा का नाम दर्ज कर हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी तारीख एवं बिना तारीख एवं बिना किसी कब्जा एवं बिना किसी हक हिस्सा के अवैध रूप से नामान्तरकरण दर्ज कर भू अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ की टिप्पणी बिना तारीख बिना माह व बिना सन् के अंकित किये तथा सरपंच ग्राम पंचायत जैसिंधर ने भी बिना किसी ग्राम पंचायत की बैठक की तारीख का अंकन किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 32 मौजा–जैसिन्धर अवैध रूप से पारित कर दिया। जिस पर हल्का पटवारी जैसिंधर ने भी माफिक नामान्तरकरण अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर दिया जो नमान्तरकरण संख्या 32 मौजा–जैसिन्धर कानूनी प्रकिया के विपरीत बिना किसी विधिक अधिकार एवं हक–हकूक के प्राप्त किया होने से काबिल अपास्त है। नामान्तरकरण संख्या 32 मौजा जैसिंधर के खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 32.16 बीघा ... 1/3 व बस्ता, लांगा, लाला पिता लछा 1/3 हिस्सा का उपरोक्त ... अपास्त कर कूंपा पुत्र झंडा के उत्तराधिकारी वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:23 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
गडरारोड

हमने वाद के तथ्यों पर वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति की है। जो उन्हें पूर्व पुरूष

कूपा पुत्र झंडा के वंशज होने से विरासत मे प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भुमि होने से वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा बराबर होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 गडरारोड़ के पटवार मण्डल शहदाद का पार के राजस्व गांव – राणसिंह की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.3095 हैक्टेयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 32 में अंकित प्रविष्ठि सगता, जेठा पिता हंसा 1/3, बस्ता लंगा, लाला पिता0 लछा 1/3 को अपास्त करते हुए वादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार ड़िक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)
न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–।)

राजस्व वाद सं. 45/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चतरा पुत्र कूंपा 2. हरिया पुत्र कूंपा 3. सता पुत्र कूंपा फौत के कायम मुकाम :– 3/1. मदनसिंह पुत्र सता 3/2. पर्बतसिंह पुत्र सता 3/3. वीरसिंह पुत्र सता, जाति–दरोगा, नि0 जैसिंधर गांव, तह0 गडरारोड़		1. राजा पुत्र जेठा 2. अर्जन पुत्र जेठा 3. अगरा पुत्र जेठा 4. कल्याण पुत्र जेठा 5. मु0 केशर पत्नी गेना 6. गौतम पुत्र लांगा 7. जुगता पुत्र लांगा 8. शंकरा पुत्र लांगा 9. चेला पुत्र लांगा 10. तुलछा पुत्र लांगा फौत के कायम मुकाम :– 10/1. गोपीदेवी पत्नी तुलछा 10/2. कल्याणसिंह पुत्र तुलछा 11. सुखा पुत्र लांगा के फौत के कायम मुकाम :– 11/1. सुगणी पत्नी सुखा 11/2. कमलसिंह पुत्र सुखा 11/3. तिलोकसिंह पुत्र सुखा 12. परबता पुत्र लाला 13. भूरा पुत्र बस्ता 14. सरूपा पुत्र सगता जाति–दरोगा, नि0 जैसिंधर गांव, तह0 गडरारोड़ 15. श्रीमान तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक गडरारोड.

उपस्थित :– 1. श्री कंवराज बैनिवाल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

राजस्व वाद 88, 188, 207 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम डिक्री

वादीगण को आज दिनांक 30.12.2025 को सहायक कलक्टर गडरारोड़ के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 गडरारोड़ के पटवार मण्डल शहदाद का पार के राजस्व गांव – राणसिंह की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.3095 हैक्टेयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 32 में अंकित प्रविष्ठि सगता, जेठा [illegible] हक [illegible]/3, बस्ता लंगा, लाला पिता0 लछा 1/3 को अपास्त करते हुए वादग्रस्त अराजी में समान हिस्सा वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री आज तारीख 30.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(SDO) गडरारोड़

सहायक कलक्टर
गडरारोड़